राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(19185)CE/DLB/MSRGY/2025/ 4434-4435 दिनांकः 29/03/2025

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY),
जिला–नागौर एवं टोंक।

विषयः–वर्ष 2024 में नवगठित नगर पालिका, मेड़तारोड़ एवं नगर पालिका, लाम्बाहरिसिंह में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत के कार्यों के कियान्वयन बाबत्।

प्रंसगः–1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), नागौर का पत्रांक 7856 दिनांक 26.03.2025 के क्रम में।

2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, उनियारा जिला टोंक का पत्रांक 5301 दिनांक 20.03.2025

संदर्भः–निदेशालय द्वारा जारी पत्रांक 1134–1151 दिनांक 12.02.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के संदर्भित पत्र (संलग्न) द्वारा वर्ष 2024 में पंचायत से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित नवगठित नगर पालिकाओं में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले की निकटतम निकायों को प्रभारी निकाय निर्धारित करते हुये कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो वित्त विभाग की आई.डी.सं. 172500036 दिनांक 28.01.2025 द्वारा अनुमत है।

प्रासंगिक पत्रों के क्रम में नवगठित नगर पालिका, मेड़तारोड़ (जिला–नागौर) एवं नगर पालिका, लाम्बाहरिसिंह (जिला–टोंक) में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य सम्पादन हेतु संदर्भित पत्र में संशोधन कर निम्नानुसार प्रभारी निकाय निर्धारित किया जाता हैः–

क्र. सं.	सम्भाग	जिला	नवगठित नगरीय निकाय	कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	अजमेर	नागौर	नगर पालिका, मेड़तारोड़	नगर पालिका, मेड़तासिटी
2	अजमेर	टोंक	नगर पालिका, लाम्बाहरिसिंह	नगर पालिका, टोडारायसिंह

उक्तानुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित नवगठित नगर पालिका में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर, विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेज MSRGY पोर्टल पर अपलोड कर कार्यों की मस्टररोल जारी कर नवगठित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जानी है।

प्रभारी निकाय के नियमित कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुसार आवंटित नवगठित निकाय हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात् व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल/माप पुस्तिका पूर्ण/सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवगठित नगरीय निकाय में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, एम.आई.एस. मैनेजर एवं शहरी रोजगार सहायक को नवगठित नगर पालिका में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है।

अतः उक्तानुसार विभागीय पत्रांक 1259–1540 दिनांक 28.02.2025 एवं विभागीय आदेश क्रमांक 2993 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार आपके जिले में स्थित नवगठित नगर पालिका में प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यो का क्रियान्वयन करवाये जाने का श्रम करावें।

(इंद्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.28 2?:34:07 IST
Reason: Approved

क्रमांकःएफ56(क)(19185)CE/DLB/MSRGY/2025/4436-4452 दिनांकः 29/03/2025

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त से संबंधित समस्त प्रावधान MSRGY पोर्टल पर करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई प्रभारी नगरीय निकाय के मध्य समन्वय कर नवीन नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
11. संबंधित आयुक्त, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के दिशा–निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
12. प्रभारी नगर पालिका, मेड़तासिटी एवं टोडारायसिंह, अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवगठित नगरीय निकाय में कार्यों का क्रियान्वयन करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों/कार्य–योजना का अनुमोदन करवाया जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
13. अधिशाषी अधिकारी, मेड़तारोड़/लाम्बाहरिसिंह (नवगठित नगर पालिका)।
14. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (MSRGY), को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
15. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.28 21:34:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14446332

कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट नागौर

क्रमांक : जि.क.ना. / 2024–25 / 7856 दिनांक :– 26/03/2025

श्रीमान् निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय,
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।

विषयः– नवगठित नगरीय निकाय में एम.एस.आर.जी.वाई. योजनान्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय में परिर्वतन के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1134-1151 दिनांक 12.02.25 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024–25 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित 27 नगरीय निकायों (नवगठित) में जरूरतमंद परिवारों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने है। नियमित कार्मिकों के अभाव में नवगठित नगर पालिकाओं में योजना का कियान्वयन समीपवर्ती प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से करवाया जाना है जिस हेतु प्रासांगिक पत्र अनुसार नागौर जिले में नवगठित नगर निकाय मेड़ता रोड में एम.एस. आर.जी.वाई. योजनान्तर्गत कार्य सम्पादन हेतु प्रभारी नगर निकाय कुचेरा को बनाया गया है। नवगठित नगर निकाय मेडता रोड़ उपखण्ड मुख्यालय मेड़ता सिटी में आती है तथा इसकी दूरी नगर निकाय मेड़ता सिटी से लगभग 15 किलो मीटर है। जबकि कुचेरा नगर निकाय उपखण्ड मुख्यालय मुण्डवा में आती है, तथा मेड़ता रोड़ निकाय से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि सुगम कार्य संचालन हेतु नवगठित नगर निकाय मेड़ता रोड़ का कार्य सम्पादन के लिए नगर निकाय मेड़ता सिटी को प्रभारी नगर निकाय बनाया जायें।

जिला कलक्टर एवं जिला
परियोजना समन्वयक
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी
योजना (MSRGY)

क्रमांक : न.प.ना. / MSRGY-Urban / 2024–25 / 7857 - 7859 दिनांक :– 26/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्रीमान् परियोजना निदेशक MSRGY स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. आयुक्त नगर परिषद् नागौर।
4. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर एवं जिला
परियोजना समन्वयक
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार
गारंटी योजना (MSRGY)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1134-1151 दिनांकः 12/02/2025

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY),
जिला–जोधपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, ब्यावर, टोंक, नागौर, कोटपूतली–बहरोड़, बालोतरा, अजमेर, डीग, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर एवं सवाईमाधोपुर।

विषयः–वर्ष 2024–25 में नवगठित 27 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय अधिसूचना (संलग्न) के अनुसार वर्ष 2024–25 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित 27 नगरीय निकायों (नवगठित) में जरूरतमंद परिवारों को मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारम्भ किये जाने है।

नियमित कार्मिकों के अभाव में उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना का क्रियान्वयन समीपवर्ती प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से करवाया जाना है। कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित सूची अनुसार निकटतम नगरीय निकायों को प्रभारी नगरीय निकाय निर्धारित किया जाता हैः–

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
1	जोधपुर	जोधपुर	तिवंरी	नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)
2	जोधपुर	जोधपुर	कुड़ी भगतासनी	नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)
3	जयपुर	जयपुर	जमवारामगढ़	नगर निगम, जयपुर (हैरिटेज)
4	जोधपुर	जालौर	सायला	नगर परिषद, जालौर
5	जयपुर	झुंझुनू	डुण्डलोद	नगर पालिका, मुकुन्दगढ़
6	जयपुर	झुंझुनू	जाखल	नगर पालिका, नवलगढ़
7	जयपुर	झुंझुनू	सुलताना	नगर परिषद, झुंझुनू
8	अजमेर	भीलवाड़ा	बिजौलिया	नगर निगम, भीलवाड़ा
9	जोधपुर	पाली	सोजतरोड़	नगर पालिका, सोजत सिटी
10	जयपुर	सीकर	धोद	नगर परिषद, सीकर
11	अजमेर	ब्यावर	मसूदा	नगर परिषद, ब्यावर
12	अजमेर	टोंक	पीपलू	नगर परिषद, टोंक
13	अजमेर	टोंक	लाम्बाहरिसिंह	नगर पालिका, उनियारा
14	अजमेर	टोंक	डिग्गी	नगर पालिका, मालपुरा
15	अजमेर	नागौर	मेड़तारोड़	नगर पालिका, कुचेरा
16	जयपुर	कोटपूतली–बहरोड़	नारायणपुर	नगर परिषद, कोटपूतली
17	जोधपुर	बालोतरा	सिणधरी	नगर परिषद, बालोतरा
18	अजमेर	अजमेर	टांटोटी	नगर परिषद, केकड़ी
19	भरतपुर	डीग	पहाड़ी	नगर परिषद, डीग
20	बीकानेर	बीकानेर	नापासर	नगर निगम, बीकानेर
21	बीकानेर	श्रीगंगानगर	घड़साना	नगर परिषद, अनूपगढ़

क्र. सं.	संभाग	जिला	चतुर्थ श्रेणी नवगठित नगर पालिका का नाम	MSRGY कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित प्रभारी नगरीय निकाय
22	जोधपुर	बाड़मेर	चौहटन	नगर परिषद्, बाड़मेर
23	जोधपुर	बाड़मेर	धोरीमन्ना	नगर परिषद्, बाड़मेर
24	जोधपुर	बाड़मेर	गुड़ामालानी	नगर परिषद्, बाड़मेर
25	भरतपुर	सवाईमाधोपुर	खण्डार	नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर
26	बीकानेर	बीकानेर	लूणकरणसर	नगर निगम, बीकानेर
27	जयपुर	कोटपूतली–बहरोड़	मांढण	नगर परिषद्, बहरोड़

उक्तानुसार प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित नगर पालिका में MSRGY योजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार कर जिले की नोडल निकाय के माध्यम से जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना है। तत्पश्चात् कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर विभागीय SoP के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरांत वांछित दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर सूचना अपलोड कर कार्य की मस्टररोल जारी कर नवगठित नगरीय निकाय में योजना के क्रियान्वयन कि कार्यवाही की जानी है।

प्रभारी निकाय के नियमित प्रशासनिक, तकनीकी एवं लेखा अधिकारियों द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर कार्मिकों के माध्यम से नवगठित निकायों हेतु कार्यों का चयन कर, कार्यों का तकमीना तैयार कर, सक्षम स्तर से तकनीकी जांच करवाकर, कार्य योजना तैयार करावें एवं कार्यों के अनुमोदन पश्चात् व प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरान्त मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा प्रतिदिन श्रमिकों की उपस्थिति पोर्टल पर इन्द्राज करवाकर पखवाड़ा समाप्ति के 15 दिवस में मस्टररोल/माप पुस्तिका पूर्ण एवं सत्यापित कर पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि के माध्यम से बिल भुगतान की कार्यवाही करवाते हुए, आवंटित नवगठित निकायों में कार्यों को संपादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त प्रयोजनार्थ आपके जिले की निकायों में योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों यथा रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक एवं एम.आई.एस. को नवगठित नगरीय निकायों में अतिरिक्त रूप से उपयोग में लिया जा सकता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 में गठित 42 नगरीय निकायों एवं वर्तमान वर्ष 2024–25 में गठित उक्त नवीन 27 नगरीय निकायो के लिये कोई भी संविदा कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं किये गये है। योजनान्तर्गत इन नगरीय निकायों में किसी भी प्रकार की कोई नवीन संविदा नियुक्तियां पूर्व में जारी विज्ञप्तियों से नहीं की जावे।

प्रभारी नगरीय निकाय द्वारा आवंटित उक्त नवगठित नगर पालिकाओं में योजना क्रियान्वयन से संबंधित समस्त प्रस्ताव, स्वीकृतियां, कार्ययोजना, तकमीने, फोटोग्राफ, मस्टररोल, बिल एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेज, आंकड़े एवं लेखा विवरण का पृथक् से संधारण करवाया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न स्तर पर चाही गई आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

अतः उक्तानुसार आपके जिले की नवगठित नगर पालिकाओं में प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्य क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह वित्त विभाग की आई.डी. सं. 172500036 दिनांक 28.01.2025 द्वारा अनुमोदित है।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 1152-1227 दिनांकः 12/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त/आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर एवं जोधपुर।

9. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (MSRGY), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव भर्ती आयोग निदेशालय, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) एवं सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर एवं जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय एवं कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय के मध्य समन्वयक कर नवीन नगरीय निकाय में कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
16. संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार, जिला स्तरीय नगरीय निकाय को निर्देशित किया जाता है कि योजना के पूर्व दिशा-निर्देशानुसार कार्य संपादन हेतु बनायी गई नोडल नगरीय निकाय से कार्य प्रारंभ करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए जिला परियोजना समन्वयक से कार्यों की स्वीकृति कराकर पोर्टल पर कार्य अपलोड करवाकर कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
17. प्रभारी नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता तथा वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित नवगठित नगर पालिका में कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत कर कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
18. स्टेट एम. आई. एस मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
19. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Office of the
Municipal Board Uniara (Tonk) Rajasthan
Tel.- (01436) 294015
E-mail : npuniyarai@gmail.com

कार्यालय नगरपालिका उनियारा (टोंक) राज.

क्रमांक :: न.पा.उ./आईआरजीवाई/2024–25/5301 दिनांक : 20/3/25

श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय,
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

विषय :– वर्ष 2024–25 में नवगठित नगरीय निकायों में से अतिरिक्त प्रभारी हटाये जाने बाबत।

प्रसंग :– श्रीमान के पत्रांक 1134–1151 दिनांक 12.02.2025 की अनुपालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि वर्ष 2024–25 में नवगठित 27 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत योजना का कियान्वयन समीपवर्ती प्रभारी नगरीय निकाय के माध्यम से करवाया जाने हेतु नगरपालिका उनियारा को नवगठित नगरपालिका लाम्बाहरिसिंह का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है जिसके संबंध में निवेदन है कि नगरपालिका उनियारा से लाम्बाहरिसिंह की लगभग दूरी 150 किलोमीटर है। एवं नगर पालिका उनियारा में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत कार्यरत एक JTA है, वो भी विशेष योग्यजन की श्रेणी में होने एवं पालिका कार्यालय में एक ही कनिष्ठ अभियंता होने के कारण नगरपालिका लाम्बाहरिसिंह का कार्य समय पर सम्पादित किया जाना सम्भव नही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि नगरपालिका उनियारा से नगरपालिका लाम्बाहरिसिंह का अतिरिक्त कार्यभार हटाने का श्रम करावे।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, उनियारा

क्रमांक :: न.पा.उ./आईआरजीवाई/2024–25/5302–5307 दिनांक : 20/3/25
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
2. श्रीमान परियोजना निदेशक (MSRGY) महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जिला टोंक।
4. श्रीमान उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग अजमेंर।
5. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका उनियारा।
6. सुरक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, उनियारा

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE : WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1259 – 1540 दिनांकः 28/02/2025

1. **जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY),**
समस्त राजस्थान।
2. **आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,**
नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त),राजस्थान।

विषयः–"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर 01.04.2025 से कार्य प्रारम्भ करवाये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" अन्तर्गत वर्ष 2025–26 हेतु समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं द्वारा वार्षिक कार्य–योजना तैयार कर अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना है। नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक कार्य–योजना वर्ष 2025–26 तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. वर्ष 2025–26 हेतु कार्यों के प्रस्ताव सर्वप्रथम जिले के प्रभारी निकाय यथा निगम/परिषद् के माध्यम से जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाये जावे एवं प्रस्ताव में मार्गदर्शिका अनुसार अनुमत कार्यों की श्रेणी अंकित करते हुये प्रत्येक कार्य का पूर्ण नाम, कार्य की लागत, श्रम व सामग्री मद की लागत (अर्द्धकुशल श्रमिक यथा मेट, कुशल श्रमिक एवं सामग्री की गणना), कार्य की अवधि एवं कार्य समाप्ति दिनांक वर्णित करते हुये अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावे।
2. नगरीय निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों एवं पोर्टल पर दर्ज मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से आवश्यक मानव–दिवस सृजन हेतु कार्यों का निर्धारण कर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट (shelf of project) में सम्मिलित किया जावे।
3. योजनान्तर्गत अनुमत कार्य, जो उपयोगी व उपादेयी हो एवं जिनको तकनीकी रूप से करवाया जाना संभव है उनके वित्तीय प्रावधानों का गहनता से आंकलन कर प्राथमिकता से कार्ययोजना में सम्मिलित किया जावे।
4. स्पष्ट पहचान हेतु कार्य का नाम **"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत (वार्ड संख्या..........), में (कार्य का स्थान........), पर (किये जाने वाले कार्य का विवरण........)"** अनुसार ही तकमीने बनवाये जावे तथा कार्य के टुकड़े कर अलग–अलग नाम से स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं किया जावे।
5. निकाय मद से टेण्डर आमंत्रित कर संवेदक से करवाये जा रहे नियमित कार्यों में योजना के श्रमिकों को कन्वर्जेन्स (आदेश क्रमांक 16251 दिनांक 28.07.2023) के माध्यम से नियोजित किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित करवाया जावे तथा ऐसे कार्यों में आवश्यक मानव दिवस की गणना कर अकुशल श्रमिकों की संख्या का आंकलन किया जावे।
6. कार्यकारी विभाग (PIA) यथा वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं अन्य विभागों के द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को कार्य–योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावे।
7. वर्ष 2025–26 के नवीन कार्यों के तकमीने RUIDP ISoR 2023 के आधार पर दर विश्लेषण (Rate Analysis) अनुसार बनाये जावे तथा प्रत्येक Item का श्रम एवं सामग्री मद का आंकलन पृथक्–पृथक् कर योजनान्तर्गत प्रदत्त निर्देशानुसार **(Detail Estimate मय साइट प्लान, कार्य स्थल के फोटोग्राफ, गूगल मेप आदि संलग्न कर)** तकमीने एवं पत्रावली **विभागीय आदेश 14013–252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार किये जावे।**
8. वर्ष 2024–25 के अप्रारम्भ/प्रगतिरत कार्यों (शेष मानव दिवस व शेष राशि ही) को कार्य–योजना में सम्मिलित करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि समान नाम के नये कार्यों को वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित नहीं किया जावे, जिससे कार्यों का दोहराव न हो। वर्ष 2025–26 हेतु Carry Forward कार्यों में शेष कार्य/राशि/मानव दिवस एवं अनुमानित अवधि की स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जावे। Carry Forward कार्यों को पुनः पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में अपलोडेड कार्य में राशि का परिवर्तन, कार्य समाप्ति का परिवर्तन आदि जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पत्र निदेशालय के MSRGY प्रकोष्ठ को प्रेषित किये जावे।
9. वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रगतिरत तथा अप्रारंभ कार्यों को दिनांक 31.03.2025 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। **जो कार्य 31.03.2025 तक अप्रारम्भ रहते है, ... निरस्त एवं**

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 1?:19:34 IST
Reason: Approved

31.03.2025 तक प्रगतिरत कार्यों को यथास्थिति पूर्ण करवाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर सूचना पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

10. राज्य स्तर से नवीन प्रकृति के कार्य सृजन/कार्यों में परिवर्तन/बीएसआर संशोधन/Wage Rate पुनरीक्षण आदि के निर्देश दिये जाने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन पश्चात् निकायों द्वारा कार्य-योजना परिवर्तित की जा सकती है। योजना की मार्गदर्शिका की बिन्दु संख्या 9(C) के अनुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक मासिक आधार पर आयोजित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में प्रत्येक जिला प्रभारी निगम/परिषद् प्रतिमाह इस बैठक को आयोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव जिला कलक्टर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जिससे कार्यों की समीक्षा उचित प्रकार से की जा सके। कार्य-योजना में किये गये संशोधन को परिशिष्ट-1 व 2 में समाविष्ट करते हुए सूचना पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए निदेशालय को ई-मेल द्वारा अवगत करावें। नगरीय निकायों द्वारा नवीन कार्यों के प्रस्ताव/संशोधन/संविदा कार्मिकों के संबंध में निर्णय आदि सीधे जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत नहीं करके जिला प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किया जावे।
11. नवगठित नगर परिषद/पालिका में योजना क्रियान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 1244-1263 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्रांक 1134-1151 दिनांक 12.02.2025 अनुसार निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों द्वारा आवंटित नगर परिषद/पालिका की कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन करवाकर कार्य प्रारम्भ करावे।
12. निकाय द्वारा समस्त अनुमोदित कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में पूर्ण कर दिनांक 15.04.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए, निदेशालय के योजना प्रकोष्ठ को ई-मेल (msrgy@rajasthan.gov.in) के माध्यम से अवगत करावें।

वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने हेतु अनुमानित वित्तीय प्रावधानः-

योजना के वित्तीय प्रावधान अंतर्गत प्रति निकाय श्रम मद, सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद की गणना कर नियमानुसार निर्धारित अनुपात सुनिश्चित किया जावे।

(अ) **प्रशासनिक मदः-** योजनान्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात निकाय स्तर पर नियुक्त संविदा कार्मिको के वेतन/भत्ते भुगतान, योजना के विज्ञापन एवं प्रशासनिक कार्य से संबंधित अन्य व्यय का भुगतान कुल व्यय राशि के अधिकतम 6 प्रतिशत की सीमा मे रखा जावे।

(ब) **श्रम मद (70 प्रतिशत):-** रोजगार हेतु नियोजित अकुशल श्रमिकों को देय कुल राशि (**कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक रखा जाना अनिवार्य है**)।

(स) **सामग्री मद (30 प्रतिशत):-** कार्य हेतु नियोजित कुशल श्रमिक, मेट एवं सामग्री का भुगतान कुल व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत (**कुल व्यय का 30 प्रतिशत से कम रखा जाना अनिवार्य है**)।

(द) **कुल प्रावधानः-** श्रम मद + सामग्री मद + प्रशासनिक मद

अतः **वर्ष 2025-26 हेतु अंतरिम कार्य-योजना निकायवार संलग्न सूची अनुसार नगर निगम प्रत्येक को रू. 1.50 करोड़, नगर परिषद् प्रत्येक को रू. 1.00 करोड़ एवं नगर पालिका प्रत्येक को रू. 0.60 करोड़ आवंटित राशि का अधिकतम 1.5 गुना (Time)** तक के कार्यों के प्रस्ताव मय आवश्यक स्वीकृतियां दिनांक 25.03.2025 तक पोर्टल पर अपलोड करवाते हुए दिनांक 01.04.2025 से कार्य प्रारंभ करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः- नगरीय निकायों की श्रेणीवार सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1541-1556

दिनांकः 28/02/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. स्टेट एम. आई. एस. मैनेजर (MSRGY) को पोर्टल पर अपलोड किये जाने बाबत्।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अरुण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.02.28 1?:19:34 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1 (कार्यों का सारांश)

"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" की वार्षिक कार्य–योजना वर्ष 2025–26 का विवरण

निकाय .... जिला .... संभाग ....

- कुल जॉब कार्डों की संख्या (आदिनांक तक) ....
- रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या (आदिनांक तक) ....
- रोजगार की मांग करने वाले परिवारों के सदस्यों की संख्या (आदिनांक तक) ....
- रोजगार आवंटित किये गये परिवारों की संख्या (वर्ष 2024–25 के आधार पर) ....
- रोजगार आवंटित किये गये सदस्यों की संख्या (वर्ष 2024–25 के आधार पर) ....
- अनुमानित 100 से 125 दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या (वर्ष 2024–25 के आधार पर) ....
- वर्ष 2024–25 के आधार पर अनुसूचित जाति ..../जनजाति........./OBC......./SBC..../BPL......../अल्पसंख्यक ...... /EWS .... लाभान्वित परिवारों की संख्या ....

- अनुमानित तकमीना लागत (वर्ष 2025–26) ....
- अनुमानित मानव दिवसों का सृजन (वर्ष 2025–26) ....
- श्रम एवं सामग्री का अनुपात ....

(अ) वित्तीय वर्ष 2024–25 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कार्यों का सारांशः–

क्र. सं.	कार्य संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमः सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कुल कार्यों का विवरण।							
(B)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यो में से पूर्ण कार्यों की विवरण।							
(C)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यो में से अप्रारंभ कार्यों की विवरण।							
(D)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यों में से प्रगतिरत कार्यों का विवरण।							

(ब) वित्तीय वर्ष 2025–26 की अंतरिम (**Provisional**) वार्षिक कार्य–योजना का विवरण :–

क्र. सं.	कार्य–योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमः सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वर्ष 2024–25 में सृजित किये गये प्रगतिरत कार्य की शेष राशि एवं अप्रारम्भ कार्य जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में सम्मिलित किये जाने है का विवरण। (वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के कार्यों को इस कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।) नोटः–प्रगतिरत कार्यों की शेष राशि के लिये अलग से वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्यों को पूर्ण कराने के लिये शेष आवश्यक राशि को ही इस कार्य–योजना का वित्तीय भार माना जावे तथा शेष राशि का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन आवश्यक है।								
1. (A)	वर्ष 2024–25 के प्रगतिरत कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में लिये जाने है।							
1. (B)	वर्ष 2024–25 के अप्रारंभ कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में लिये जाने है।							
1.	योगः– वर्ष 2024–25 के कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने है। **[1.(A)+1.(B)]**							

क्र. सं.	कार्य–योजना संबंधी विवरण	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमः सामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या
			श्रम	सामग्री	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यो का विवरण।							
2. (A)	**पर्यावरण संरक्षण कार्य** (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त हरियालों राजस्थान अन्तर्गत वृक्षारोपण संबंधी कार्य, नर्सरी स्थापित करने का कार्य, सघन वृक्षारोपण कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य आदि)							
2. (B)	**जल संरक्षण संबंधी कार्य** (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अंतर्गत भराव क्षमता/केचमेंट बढ़ोतरी का स्पष्ट आंकलन करते हुए, पाल पक्का करना, पिचिंग, पानी के इनटेक हेतु नालियां बनाना इत्यादि सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट प्लान तैयार करना)।							
2. (C)	**स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य** (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त रेग–पिकिंग, Material Recovery Facility Plant पर श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य, Community Toilet/Public Toilet/Public Urinals सफाई एवं देखरेख का कार्य, Garbage Vulnerable Point (G.V.P) हटाने का कार्य, घर–घर कचरा संग्रहण में Source Segregation, Cleanliness Target Units (CTU) तथा Black Spot निवारण इत्यादि कार्य)।							
2. (D)	**सम्पति विरूपण** (Defacement of property) रोकने सम्बन्धी कार्य।							
2.(E)	**कन्वर्जेन्स कार्यः–** योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्यों में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स कार्य (निकाय द्वारा जारी निविदा कार्यों में संवेदको के माध्यम से न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिक योजना के माध्यम से लगाने हेतु प्रदत्त निर्देश पत्रांक 16251 दिनांक 28.07.2023 अनुसार) (प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य सम्मिलित नहीं किये जावे)							
2.(F)	**सेवा सम्बन्धी कार्य।**							
2.(G)	**हैरिटेज संरक्षण से संबंध कार्य।**							
2.(H)	अन्य कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त। मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र में श्रमिक उपलब्ध करवाने का कार्य।							
2.(I)	अन्य विभागों परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग आदि द्वारा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य।							
2.	**योगः–2 (A to I)** (वर्ष 2025–26 में नवीन प्रस्तावित कार्य)							
महायोग [1+2]								

नोटः–	
1.	कार्य–योजना में सम्मिलित उक्त समस्त कार्यों का जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है तथा सक्षम स्तर से प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
2.	उक्त सभी कार्यों की पत्रावली निदेशालय के पत्रांक 14013–252 दिनांक 20.06.2023 के अनुसार तैयार की गई है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त कार्य–योजना विभाग द्वारा जारी पत्रांक 16057–16451 दिनांक 07.10.2024 के अनुसार श्रम एवं सामग्री अनुपात 70:30 (श्रम मद 70 प्रतिशत से कम नहीं है तथा सामग्री मद 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है) व प्रशासनिक मद की 6 प्रतिशत सीमा सुनिश्चित की जावेगी।

3.	जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित प्रत्येक कार्य की पूर्ण सूचना पोर्टल पर अपलोड करवा दी गई है।
4.	वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित (पोर्टल पर अपलोडेड अथवा नहीं) 31.03.2025 तक अप्रारंभ तथा अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन उपरांत यथास्थिति समाप्त कर दिया गया है।
5.	विभागीय आदेश क्रमांक 128881–29128 एवं 129172–175 दिनांक 27.12.2022, क्रमांक 891–1137 दिनांक 25.01.2023 के अनुसार स्थायी प्रकृति के कार्यों का चयन किया गया है।

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिशाषी अभियंता
नगर निगम/परिषद्/पालिका
....

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
....

''मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना'' की वार्षिक कार्य–योजना वर्ष 2025–26 का विस्तृत विवरण

निकाय .... जिला .... संभाग ....

(अ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के कार्यों का विवरण :–

(A) वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला स्तरीय समिति से स्वीकृत कुल कार्यों का विवरण:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(B) वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यो में से पूर्ण कार्यों की विवरण:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(C) वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यो में से अप्रारंभ कार्यों की विवरण:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(D) वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत कार्यो में से प्रगतिरत कार्यों की विवरण:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(ब) वित्तीय वर्ष 2025–26 की अंतरिम (**Provisional**) वार्षिक कार्य–योजना का विवरण :–

(वर्ष 2024–25 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो का विवरण जिनको वित्तीय वर्ष 2025–26 की कार्य–योजना में सम्मलित किया जाना है)

1.**(A)** वर्ष 2024–25 के प्रगतिरत कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में लिये जाने है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

1.(B) वर्ष 2024–25 के अप्रारंभ कार्य जो वित्तीय वर्ष 2025–26 में लिये जाने हैः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

2. वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित नवीन कार्यो का विवरणः–

(A) पर्यावरण संरक्षण कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त हरियालों राजस्थान अन्तर्गत वृक्षारोपण संबंधी कार्य, नर्सरी स्थापित करने का कार्य, सघन वृक्षारोपण कर शहरी वन क्षेत्र स्थापित करने का कार्य आदि):–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(B) जल संरक्षण संबंधी कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अंतर्गत भराव क्षमता/केचमेंट बढ़ोतरी का स्पष्ट आंकलन करते हुए, पाल पक्का करना, पिचिंग, पानी के इनटेक हेतु नालियां बनाना इत्यादि सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट प्लान तैयार करना):–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(C) स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त रेग–पिकिंग, **Material Recovery Facility Plant** पर श्रमिक उपलब्ध कराने का कार्य, **Community Toilet/Public Toilet/Public Urinals** सफाई एवं देखरेख का कार्य, **Garbage Vulnerable Point (G.V.P)** हटाने का कार्य, घर–घर कचरा संग्रहण में **Source Segregation, Cleanliness Target Units (CTU)** तथा **Black Spot** निवारण इत्यादि कार्य):–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(D) सम्पति विरूपण **(Defacement of property)** रोकने सम्बन्धी कार्यः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति Tangible / Non - Tangible
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(E) **कन्वर्जेन्स कार्यः**–योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्यों में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स कार्य (निकाय द्वारा जारी निविदा कार्यों में संवेदको के माध्यम से न्यूनतम 25 प्रतिशत अकुशल श्रमिक योजना के माध्यम से लगाने हेतु प्रदत्त निर्देश पत्रांक 16251 दिनांक 28.07.2023 अनुसार) (प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य सम्मिलित नहीं किये जावे):–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(F) सेवा सम्बन्धी कार्यः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(G) हैरिटेज संरक्षण से संबंध कार्यः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(H) अन्य कार्य (योजनान्तर्गत अनुमत उप–श्रेणियों के अतिरिक्त। मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र में श्रमिक उपलब्ध करवाने का कार्यः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(I) अन्य विभागों परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी **(PIA)** यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग आदि द्वारा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखो में)			श्रमःसामग्री अनुपात	कार्य की श्रेणी	सृजित होने वाले मानव दिवसो की संख्या	कार्य की प्रकृति **Tangible / Non - Tangible**
		श्रम	सामग्री	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
योग								

(हस्ताक्षर नाम व पद)
अधिशाषी अभियंता
नगर निगम/परिषद/पालिका
....

(हस्ताक्षर नाम व पद)
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
....

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 2993 दिनांकः 12/03/2025

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वित्त विभाग के आई0डी0 संख्याः 102201948 दिनांक 02.05.2022, 172200740 दिनांक 24.06.2022, 102205237 दिनांक 19.09.2022 द्वारा राज्य स्तर एवं 240 नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका) के स्तर पर संविदा कार्मिक लिये जाने हेतु सहमति दी गई है। जिसके क्रम में आई0डी0 संख्या 102300904 दिनांक 21.03.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 हेतु तथा आई0डी0 संख्या 102400150 दिनांक 01.02.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु उक्त संविदा पदों के समयावधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त की निरंतरता में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य स्तर के निम्न पदों एवं 240 नगरीय निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका) स्तर पर निम्नानुसार संविदा आधार पर कार्मिक लिये जाने हेतु दी गई सहमति की **अवधि को दिनांक 28.02.2026 तक पूर्व शर्तों के अध्यधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–**

(अ). (1) स्थानीय निकाय विभाग (राज्य स्तर) पर कुल 9 पदों की अवधिः–

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता/मूल पद	पदों की संख्या	नियोजन का प्रकार
1	परियोजना निदेशक (तकनीकी)	मुख्य अभियंता (सिविल)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
2	वित्त प्रबंधक	मुख्य लेखाधिकारी (राजस्थान लेखा सेवा)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
3	अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
4	उप परियोजना निदेशक (तकनीकी)	अधिशाषी अभियंता (सिविल)	02	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
5	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी सेवा	01	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
6	सहायक अभियंता	सहायक अभियंता (सिविल)	03	नियमित/प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृति
योग			**09**	

(अ).(2) उक्त के अतिरिक्त 01 लेखा मैनेजर (CA/ICWA/CS), 01 स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर, 02 लेखा सहायक एवं 04 एम.आई.एस. मैनेजर की सेवायें संविदा के आधार पर लिये जाने की अवधि दिनांक 28.02.2026 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ब). (1) **निकाय स्तर परः–** नगरीय निकाय श्रेणीवार निम्नानुसार कार्मिक संविदा आधार पर लिये जाने की अवधि दिनांक 28.02.2026 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	पदनाम	नगर पालिका श्रेणी–चतुर्थ एवं तृतीय कुल 183 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर पालिका श्रेणी–द्वितीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद् कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत	समस्त निकायों के कुल पद
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	2x183=366	2x13=26	3x34=102	5x10=50	544
2	लेखा सहायक	1x183=183	1x13=13	2x34=68	3x10=30	294
3	एम.आई.एस.मैनेजर	1x183=183	1x13=13	2x34=68	3x10=30	294
4	शहरी रोजगार सहायक	2x183=366	3x13=39	4x34=136	7x10=70	611
योग निकायवार		**6x183=1098**	**7x13=91**	**11x34=374**	**18x10=180**	**1743**

Signature valid

Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.12 10:21:23 IST
Reason: Approved

(ब). (2) निकाय स्तर पर श्रेणीवार मशीन विथ मैन तथा मल्टीटास्क वर्कर/होमगार्ड की सेवायें संविदा के आधार पर निम्नानुसार लिये जाने की स्वीकृति की अवधि दिनांक 28.02.2026 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	पदनाम	योग्यता एवं मानदेय (प्रतिमाह)	नगर पालिका श्रेणी—चतुर्थ एवं तृतीय कुल 183 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर पालिका श्रेणी—द्वितीय कुल 13 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर परिषद् कुल 34 प्रत्येक हेतु निम्नवत	नगर निगम कुल 10 प्रत्येक हेतु निम्नवत	समस्त निकायों के कुल पद
1	मशीन विथ मैन	सीनियर सैकण्डरी + आरएससीआईटी कोर्स उत्तीर्ण (रू. 8200/—)	1x183=183	1x13=13	2x34=68	3x10=30	294
2	मल्टी टास्क वर्कर/होमगार्ड	सैकण्डरी + कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान (रू. 7000/—)	1x183=183	1x13=13	2x34=68	3x10=30	294
योग निकायवार		**योग**	**366**	**26**	**136**	**60**	**588**

वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय योजना के 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना अनुमत किया है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 172500222 दिनांक 04.03.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

वित्त विभाग की सहमति उपरांत निदेशालय द्वारा योजनान्तर्गत नगरीय निकायों हेतु संविदा पदों की स्वीकृति जारी की गई है। नगरीय निकाय में नियुक्त संविदाकर्मियों के कार्यों की समीक्षा का दायित्व नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी का है। विभागीय आदेशों, मार्गदर्शिका एवं "Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules-2022" अनुसार उक्त संविदाकर्मियों का नियोजन आवंटित नगरीय निकाय में "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किया गया है, जिनकी अन्य कार्यालय/निकायों में प्रतिनियुक्ति अनुमत नहीं है। संविदाकर्मियों की नियुक्ति, कार्यों का आंकलन, वेतन/सेवा अवधि वृद्धि, नियुक्ति आदेश प्रतिसंहरण किये जाने की कार्यवाही संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय नोडल निकाय के माध्यम से प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाना है। (मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 9(C) अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रतिमाह आयोजित समीक्षा बैठक अन्तर्गत)

उक्त स्वीकृत संविदा पदों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ56(क)()CE/DLB/IRGY/2022-23/29390-422 दिनांकः 06.05.2022, 30025—30250 दिनांक 06.05.2022, 32911—943 दिनांक 12.05.2022, 32307 दिनांक 12.05.2022, 66295 दिनांक 10.08.2022, क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएसटी(टी)/डीएलबी/2022/3692—37254 दिनांक 31.05.2022 एवं 5818—51 दिनांक 01.06.2022, क्रमांक प.10(छ)()/भ.आ./डीएलबी/2022/287—319 दिनांक 05.07.2022, 1511—1526 दिनांक 30.09.2022 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप निकाय स्तर पर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही आरक्षण प्रावधान समाहित करते हुये जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के निर्देशन में नोडल निगम/परिषद् के द्वारा "Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules-2022" के अनुसार नवीन सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे। संविदाकर्मियों के नियोजन से पूर्व सुनिश्चित किया जावे कि निकाय क्षेत्र में पंजीकृत श्रमिकों की मांग अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु किये जाने वाले कुल व्यय के अनुपात में प्रशासनिक व्यय निर्धारित 6 प्रतिशत सीमा में रहे। योजनान्तर्गत कार्यरत संविदाकार्मिकों के नियम विरूद्ध नियुक्ति के प्रकरणों में परीक्षण करवाकर तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निरस्त की जावे।

जिला स्तर पर संविदाकर्मियों की भर्ती पश्चात् नगरीय निकायों के आवंटन के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक प.10(छ)/भ.आ./डी.एल.बी./2022/2389—2392 दिनांक 13.10.2022 एवं प.10(छ)/भ.आ./डी.एल.बी/2022/24 दिनांक 11.01.2023 के अनुसार संविदाकर्मियों के पदग्रहण से पूर्व जिला कलक्टर एवं जिला

Signature valid

Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation: Director
Date: 2025.03.12 16:21:23 IST
Reason: Approved

परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा आवंटित नगरीय निकायों में परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। संविदाकर्मियों के पदग्रहण उपरांत ''Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules-2022'' नियम 16(ii) के अनुसार **''एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किये जाने''** का प्रावधान है। संविदाकर्मियों द्वारा आवंटित नगरीय निकाय में पदग्रहण पश्चात् उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रकरण ज्ञात होने पर तुरंत प्रभाव से स्थानान्तरण निरस्त कर संविदाकर्मी को उसकी मूल पदग्रहण नगरीय निकाय में पदस्थापित किया जावे।

वर्ष 2024 में नवगठित नगरीय निकायों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ56(क)()CE/DLB/ IRGY/2023-24/1244-1263 दिनांकः 27.02.2024 (वित्त विभाग की आईडी सं. 172400303 दिनांक 28.02.2024) एवं वर्ष 2025 में नवगठित नगर पालिकाओं के संबंध में पत्रांक एफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/1134-1151 दिनांकः 12.02.2025 (वित्त विभाग की आईडी सं. 172500036 दिनांक 28.01.2025) द्वारा निर्धारित प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से नवगठित परिषद्/पालिकाओं में योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये है। जिले की नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अतिरिक्त रूप से उक्त नवगठित परिषद्/पालिकाओं का कार्य आवंटित किया जा सकता है। वित्त विभाग द्वारा उक्त नवगठित निकायों में संविदा पद स्वीकृत नहीं किये गये है। इन नगरीय निकायों में संविदाकर्मियों की नियुक्ति नहीं की जावे तथा प्रभारी नगरीय निकायों के माध्यम से योजना के कार्यों का संपादन किया जावे।

अतः उक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः—नगरीय निकाय—वार स्वीकृत पदों की सूची।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2025/ 2994-3543 दिनांकः 12/03/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
11. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
12. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (IT), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. उपनिदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, राज्य स्तरीय चयन बोर्ड, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
18. आयुक्त/प्रशासक/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान।
19. संस्थापन अनुभाग/आरएमएस(टी) अनुभाग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
20. स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर, MSRGY पोर्टल पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
21. सुरक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid
Digitally signed by Inderjeet Singh
Designation : Director
Date: 2025.03.12 1?:21:23 IST
Reason: Approved

E-File MSRGY Letter 2025 /3

RajKaj Ref No.: 14050212